हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी।

"यदि दावे बिल्कुल पन्ने के दूसरी तरफ छपे नियमों के अनुसार किए जाये तो देरी से बचा जा सकता है" व्यक्तियों को यात्रा भत्ता उसी सवारी के अनुसार दिया जायेगा जिसका वे वास्तव में प्रयोग किया करें।

	Auditor	Rupee	Pre-au	लेखा परी			स्थान			बैठकों	के व क	# 2	기 대 라 라
	Auditor/Clerk/Asst	dited & Pa		लेखा परीक्षा करने के उपरान्त			तिथ	प्रस्थान		के नाम/व	गता नम्बर जनाम		
			ssed for R	उपरान्त			समय		यात्रा व	दैनिक भत			
	Auditor/Clerk/Asst. R.S.A/Supdt.	Rupees	Pre-audited & Passed for Rs				स्थान		का विवरण	ा के प्रयोज			नामपदपद
			.				নিথি	प्रस्थान आगमन श्रीणी कि० कि० कि० प्रस्थान आगमन मी० मी० मी० विनों की राशि विनों की राशि रिनों की राशि रहे पै०	20	নার্থ			5
	D.D.A./ASA/CAO	। भता की	प्रभार शीर्ष	कुल जोड़	•	L.	समय						ч
		जांच व	m)-					श्रोणी	रेल				٩
	क्लर्क/सहायक	यात्रा भत्ता की जांच कर ली गई है।	प्रभार शीर्ष				संख्या	화 취 황	वास्तविक र्		IFSC C		6
					i i		ক্ত০ বৃত	यश्च	केराया		ode	ক্ত	
सहायक	अधीक्षव चैक न	,	(रूपये				संख्या	라 핚 화	सड़क			षत आ	E
,	ें (लेo)		(रू० अंकों में) (रूपये शब्दों में)		2		*	섭	वास्तवि केराया			य (कव	EMP
		,			9		fr		9			ල) 기	COD
सक न०वनाक	मु ०ले०अ				1		संख्या	देनों की	रूपये प्र दर पर है		वाऊच	र कमंच	ODE
	०/स०स०ले टिनांक		(ক্ব০				ক্ত বৃত	राशि	तिदिन की निक भता		र संख्या	गरियो द्वारा	2 0
	ō		अंकों में)					র _০ ঐ০	जोड़			भरी जाये)	
					10 9. 8. 12 12	<i>γ</i> n							
굄	: z	अधि	7 / A	544	6. पर्मा 7. प्रमा 8. प्रमा 8. प्रमा 9. पाई 9. पर्मा 10.प्रमा 11.प्रमा 12.प्रमा	म न व द	9 4	म्ब क्रम	क्)भ	प्रमार्	효화	HK.	जिस अथ

घोषणा पत्र दौरे की यात्रा के लिए प्रमाण पत्र

A-15

प्रमाणित किया जाता है कि (1) सड़क द्वारा यात्राओं कें लिए राजकीय खानीय निधि या प्रतिपालक । यात्रा के लिए यात्रा भत्ता क्लेम किया गया है, उसके मुफ्त पास द्वारा, रेलवे से वा अन्यथा यात्रा की अनुमति नहीं थी। (नियम 292से 295) के खर्च पर मेरे लिए यात्रा साधनों की व्यवस्था नहीं की गई थी। (नियम 2,100)

विक कारटिकट संलग्न है। णेत किया जाता है..... द्वारा यात्रा की, मैने समस्त दिनों में रेल की उसी श्रेणी से यात्रा की थी जिसका जेत किया जाता है कि की तथा किराये के तौर पर के अतिरक्ति जब कि मैने.....रू० खर्चा हुआ जिसके समर्थन में तक मैने कार द्वारा

का वाहन संख्या..... णेत किया जाता है सड़क द्वारा यात्रा मोटर कार/मोटर साईकिल द्वारा की गई ये के खर्च हुए। एक सीट लेकर बस द्वारा यात्रा की थी तथा.... गणित किया जाता है..... रूपये तक

मेरी अपनी सम्पत्ति थी। यह गैर सरकारी सम्पत्ति थी। जिसका विवरण नीचे दिया जाता है :-वह भाड़े का वाहन था और पूरे का पूरा मेरे द्वारा आरक्षित करवाया गया है। सरकारी वाहन था।

गेत किया जाता है कि अधिक्षेत्र से बाहर की यात्रा उचित प्राधिकार के अधीन की गई। णेत किया जाता है कि सड़क द्वारा यात्रा मोटर वस या लारी में एक सीट लेकरकी थी।

णित किया जाता है कि...... यात्रा लोक हित में मेल/एक्सप्रेस णेत किया जाता है कि बिल में दिखाई गई किलोमीटर संख्या सही है।

ग रहन/सहन की सरकारी सुविधा प्राप्त नहीं थी। में वास्तविक रूप से कैम्प में था/थी तथा इन दिनों में किसी भी प्रकार की खान/पान णेत किया जाता है कि..... द्वारा की गई।

णेत किया जाता है कि जिस अवधि के लिए दैनिक भत्ता क्लेम किया किया गया है

णित किया जाता है कि.... मेरे ठहरने के दौरान जबकि में छुट्टी(अवकाश) पर था प्रथम दस दिनों के पश्चात् अवधि के दौरान में आकस्मिक अवकाश पर नही था/थी। स्थान पर से

ष ध्यान : जो प्रमाण पत्र लागू न हो उन्हें काट दिया जाये। णेत किया जाता है कि मैंने लोकल कन्येन्स के .. ातिरिक्त खर्च करता रहा।रु० व्यय किये।

क हो तो एक रू० शि 5000/-रूपये टिकट लगाइय हरताक्षर..... कृपया दोनों स्थानों पर अदायगी प्राप्त की हस्ताक्षर कीजिए। प्रतिहस्ताक्षर

मधिकारी, प जि० अ० तथा संस्था अध्यक्ष के प्रति हरताक्षर करवाना अनिवार्य है-ात्रा भत्ता बिल अपने नियन्त्रण अधिकारी जैसे निदेशक शिक्षा विभाग/उप निदेशक,

TRAVELLING ALLOWANCE RULES PART - 1

- 1. Except as provided in part 2 payment of railway fare, daily allowance and village allowance shall be as under:-
- For the purpose of Travelling Allowance/daily Allowance etc. the employee would be classified as follow Grade 1 Employees drawing Grade pay at Rs. 10000/- and above P.M.
- Grade 2 Employees drawing Grade pay at Rs. 8900/- and but below Rs. 9800/-
- Grade 3 Employees drawing Grade pay at Rs. 4600/- and above but less than Rs. 8800/- P.M.
- Grade4 Employees drawing Grade pay at Rs. 2500/- and above but less than Rs. 4200/- P.M.
- Grade 5 Employees drawing Grade pay at Rs. 1300/- P.M.
- Railway accomodation admissible shall be under :-
- Grade 1 10000/- and above AC 1st Class by Train, Ac Bus and Volvo
- 4. The revised pay range for entitlement to travel by road public transport would be as under:
- Grade 2 Grade Pay exceeding Rs. 8900 9800/- Ac Bus and Volvo Ac 1st Class by Train Grade 3 Grade Pay exceeding Rs. 4600 8800/- Ac II Tier or Ac Chair Car, Ac Bus, Delux Bus
- Grade 4 Grade Pay exceeding Rs. 2500 4200/-Ac III Tier or Non Ac Chair Car, Ordinary Bus, Delux Bus Grade 5 Grade Pay exceeding Rs. 1300 2400/- II Class or Sleeper or ordinary Bus
- Daily allowance admissible shall be as under: (D.A.) Rates to the Haryana State Employees revised we f 19 - 07 - 2016

	Grade Pay 1 Rs 10000 and above	In the case of travel by a Cout Vehicale full daily	minima case of diagram of a cost sellings for really	spend away from the Headquarters for absence of
Grade Pay 4 Rs. 2500 - 4200 Grade Pay 3 Rs. 4600 - 8800	Grade Pay 4 Rs. 2500 - 4200 Grade Pay 3 Rs. 4600 - 8800 Grade Pay 2 Rs. 8900 - 9800	- 4200 - 8800 - 9800 O and above	Grade Pay 4 Rs. 2500 - 4200 Grade Pay 3 Rs. 4600 - 8800 Grade Pay 2 Rs. 8900 - 9800 Grade Pay 1 Rs. 10000 and above In the case of travel by a Govt. Vehicale full daily allowance would be paid for each day or part there	Grade Pay 4 Rs. 2500 - 4200 Grade Pay 3 Rs. 4600 - 8800 Grade Pay 2 Rs. 8900 - 9800 Grade Pay 1 Rs. 10000 and above In the case of travel by a Govt. Vehicale full daily allowance would be paid for each day or part there spend away from the Headquarters for absence of 24 hours or more. Where the total absence from the
300/-	300/- 400/-	250/- 300/- 400/- 500/-	250/- 300/- 400/- 500/- uld be paid for each day or part t	300/- 400/- 500/- uld be paid for each day or part to rore. Where the total absence fro

0

(ii) When absence from Headquarters is for 6 hours or more but less than 12 hours (iii) When absence from Headquarters is for 12 hours or more but not more than 24 hours.

Half daily allowance Full daily allownce

Not daily allowance

(i) When absence from Headquarters is less than 6 hours

PART - II

- Person undertaking the journey by their own vehicle or in a hired vehicle may take permission before hand.
- 2. If person travels in another persons car and does not pay any thing for the use of propulsion of vehicle he will be entitled only Due Daily allowance as mentioned in Part I
- No person whose ordinary place residence is the same as the place of Board business or duty shall be entitled to DA., if he comes from an out station to attend Board business or to place of duty at that place.

 No person residing with in the territorial jurisdiction of the Board shall be entitled to charge T.A. from
- place farther than the one which he ordiary resides.

 Bills no presented within 6 months from the date of journey shall lapse & shall not be entertained unless
- the period of 6 month is extended by the Competent authority for good cause shown
- In case of journey by Air/ Ac Rail/Ac Bus/Delux Bus tickets shall be appended to TA bills. In case of rail Journey by Ist Class/Ac Chair Car Ticket/Ticket No. Reservation slip as the case may be shall be produced, In the absence of ticket where ever, required, ordinary rail/bus fare will be given.

Rs. 600/-	Rs. 500/-	Rs. 400/-	Rs. 300/-	Rs. 250/-	Daily Allowance in ant Town / city Out side Haryana Chandigarh
Grade - 1	· Grade - 2	Grade - 3	Grade - 4	Grade - 5	Hotel C in the c
-1 Rs. 5000+1/2 Daily	-2 Rs. 4000+1/2 Daily	-3 Rs. 3000+1/2 Daily	-4 Rs. 1500+1/2 Daily	-5 Rs. 500+1/2 Daily	Hotel Charge Plus Daily Allowance at any plain the country out side Haryana / Chandigarh
					iny pla digarh

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी

विषय :	यात्रा भत्ता बिल	गास		वर्ष				
उपसचिव	। (लीगल)/सचिव	त/अध्यक्ष मह	ोदय के आदेश दिन	iiक	अनुसार			
निम्न हर	ताक्षरी निम्नलिरि	वत विवरण ३	अनुसार दौरे पर गया	÷				
स्थान	प्रस्थान दिनाक समय	रथान	<u>आगमन</u> दिनांक समय	यात्रा का उद्देश्य	बस/रेल/बोर्ड वाहन नं. लाग बुक की पृष्ठ संख्या			